फर्द अहकाम

नरपत सिंह बनाम रामसहाय वगै.

नाम न्यायालय AC-II

केस संख्या दावा- 68/2012

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	22/12/21	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप./ वकील प्रार्थी/वादी की बहस प्रार्थना पत्र O22R3 पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र O22R3 आगामी पेशी दिनांक 4/1/22 को पेश हो। सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय
	04/1/22	पत्रावली वास्ते आदेश प्रा. पत्र O22R3 पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप. समयाभाव के कारण आदेश नहीं लिखवाया जा सका। वास्ते आदेश दिनांक 11/1/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय
	11/1/22	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी/वादी द्वारा प्रा. पत्र O22R3 पेश कर निवेदन किया गया कि वादी नरपत सिंह का दिनांक 19/02/2018 को स्वर्गवास हो चुका है। वादी श्री नरपत सिंह ने वादग्रस्त आराजी के संबंध में दिनांक 30/10/2017 को एक वसीयत मि. प्रार्थी [illegible] निष्पादित [illegible] के संबंध में पक्ष वादग्रस्त [illegible] प्रार्थी अपने [illegible] को प्रदान किए [illegible] उक्त वसीयत [illegible] 30/10/2017 की रू से मन प्रार्थी अत

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 16:18:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

नरपतसिंह बनाम रामसहाय वगै.

मुकदमा संख्या / वर्ष दावा - 2012/68 / 20

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		वाद में मृतक नरपतसिंह के स्थान पर पक्षकार बनाये जाने का व उक्त वाद को आगे जारी रखने का अधिकारी हो अतः प्रार्थी को मृतक नरपतसिंह के स्थान पर पक्षकार बनाए जाने व संशोधित वाद प्रस्तुत करने की कृपा करें। अप्रार्थी सं. 1 रामसहाय की ओर से जवाब प्रा. पत्र 02/23 में अंकित है की प्रार्थी ने जिस तथाकथित फर्जी वसीयत का उल्लेख किया है उस तथाकथित वसीयत को पहले प्रार्थी सक्षम न्यायालय से प्रोबेट करवाये एवं बिना प्रोबेट कराये प्रार्थी उक्त वाद में तथाकथित वसीयत के आधार पर पक्षकार बनने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस सुनी जाकर वसीयत अवलोकन प्रा. पत्र का मय वसीयत के प्रा. पत्र किया गया। प्रार्थी ने प्रा. पत्र के साथ जो वसीयत [illegible] दिनांक [illegible] है वह 30/10/201[illegible] [illegible] प्रार्थी रजिस्टर्ड नहीं है [illegible] वसीयतनामा को जब तक उक्त वसीयत [illegible] प्रोबेट नहीं सक्षम न्यायालय से	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 15:18:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

AC-II

नरपतसिंह बनाम रामसहाय वगै.

दावा-2012/68

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टि
		कब्जा लेवें, तब तक वाद में पक्षकार बनने का अधिकारी नहीं है अतः प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है की उक्त वसीयतनामा को सक्षम न्यायालय से प्रोबेट करवाये, प्रोबेट करवाने के उपरांत प्रार्थी उक्त वाद को पुनः चलाने हेतु स्वतंत्र है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र अन्तर्गत 22 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता खारिज किया जाकर पति का वाद भी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11/01/2022 को सुनाया गया। सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 15:18:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner